नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप (N.M.M.S.)

परीक्षा 2021

निर्देशिका

एनएमएमएस प्रकोष्ठ

शैक्षिक सर्वे, शोध, मूल्यांकन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग

RSCERT, उदयपुर–313011

मुख्य संरक्षक
माननीय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा
शिक्षा राज्य मंत्री (स्कूल शिक्षा)
राजस्थान सरकार, जयपुर

संरक्षक
श्रीमती अपणा अरोड़ा (IAS)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

श्री सौरभ स्वामी (IAS)
निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

मुख्य मार्गदर्शक
प्रियंका जोधावत (RAS)
निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

मार्गदर्शक
श्री ललित शंकर आमेटा
संयुक्त निदेशक, RSCERT, उदयपुर

परामर्शद्
श्री धर्मेन्द्र कुमार जोशी
उप निदेशक, RSCERT, उदयपुर

प्रभारी अधिकारी
कपिला कंठालिया
एसोसिएट प्रोफेसर
शैक्षिक सर्वे, शोध, मूल्यांकन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग,
RSCERT, उदयपुर

प्रभारी एवं सम्पादक

श्री रोहताश
असिस्टेंट प्रोफेसर
शैक्षिक सर्वे, शोध, मूल्यांकन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग,
RSCERT, उदयपुर

डॉ. अशोक कुमार बैरवा
असिस्टेंट प्रोफेसर
शैक्षिक सर्वे, शोध, मूल्यांकन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग,
RSCERT, उदयपुर

आमुख

नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप योजना राष्ट्र की एक प्रमुख केन्द्रीय प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना है। इसका शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2008 में किया गया था। NMMS परीक्षा अल्प आय वर्ग हेतु आयोजित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करने के उद्देश्य से परीक्षा का आयोजन करने हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1 (16) शिक्षा–1/प्राशि/2008, जयपुर दिनांक 13.5.2008 द्वारा निदेशक रा.रा.शै.अ.प्र.सं., उदयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। NMMS परीक्षा एक स्तरीय होती है। इसके आधार पर निर्मित जिला स्तरीय वरीयता सूची में प्रत्येक जिले को आवंटित कोटा अनुसार स्थान प्राप्त करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कक्षा–8 उत्तीर्ण प्रतिभाशाली योग्य 5471 विद्यार्थियों को प्रति वर्ष रू. 12000 की दर से छात्रवृत्ति राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक नियमित रूप से अध्ययनरत रहने पर व भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं शर्तों के पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी। गत वर्ष NMMS परीक्षा 2020 में 49,736 विद्यार्था प्रविष्ट हुए और उम्मीद करती हूँ कि यह संख्या इस वर्ष और बढ़ेगी इस हेतु परिषद् द्वारा प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की मांग के अनुरूप केन्द्र बनाये जा रहे हैं। परीक्षा के आयोजन एवं अभिलेखन में विशेष सतर्कता एवं सावधानी रखने की आवश्यकता है। परीक्षा के समयबद्ध, सुव्यवस्थित संचालन हेतु यह निर्देशिका निर्मित की गई हैं यह निर्देशिका केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा योजना, परीक्षा के प्रारम्भ से लेकर अंत तक की प्रक्रिया, वीक्षकों एवं विद्यार्थियों के निर्देश के साथ–साथ बाह्य पर्यवक्षक व जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय) के कार्य एवं निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु विवरण की जानकारी उपलब्ध कराएगी। मैं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी केन्द्राधीक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि से अपेक्षा करती हूँ कि वे इस नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप योजना का अधिक प्रचार–प्रसार करेंगे, जिससे अधिक छात्र प्रेरित हो सकें व प्रतिभाशाली व पात्र विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

मैं NMMS प्रकोष्ठ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस निर्देशिका का निर्मित करने के लिए बधाई देती हूँ आशा है कि यह निर्देशिका केन्द्राधीक्षकों के द्वारा परीक्षा संचालन में एवं परीक्षा से संबद्ध अधिकारियों के लिए सहायक होगी।

प्रियंका जोधावत
आर.ए.एस.
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी NMMS परीक्षा
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर

(शैक्षिक अनुसंधान, सर्वे, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग)

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कोलरशिप (NMMS) परीक्षा 2021

केन्द्र प्रायोजित योजना "एनएमएमएस" मई 2008 में शुरू की गयी थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 8 में उनके ड्रॉप आउट को रोकते हुए माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृति प्रदान करना है। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये प्रति वर्ष 12000 रूपये (1000 रू प्रति माह) की छात्रवृति प्रदान की जाती है। सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये छात्रवृति का एक निर्धारित कोटा है। ऐसे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से पैतृक आय राशि 1,50,000रू. से अधिक नहीं है, छात्रवृति प्राप्त करने के लिये पात्र है। इसमे राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार आरक्षण है। छात्रवृति के लिये छात्रों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र इस योजना के तहत छात्रवृति पाने के हकदार नही है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढने वाले के छात्र जहां बोर्डिंग, लोजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी इस योजना के तहत छात्रवृति के लिये पात्र नहीं है।

एनएमएमएस उद्देश्य

मई 2008 में पहल की गयी एनएमएमएस छात्रवृति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिये प्रेरित करना है। ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट दर मे सुधार हो सके। प्रत्येक वर्ष, कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी की राज्य स्तर पर चयन परीक्षा हाती है। चयन के बाद कक्षा 9–12 के नियमित राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी NMMS छात्रवृति के लाभों को प्राप्त करते है।

एनएमएमएस पुरस्कार

एनएमएमएस मे चयनित विद्यार्थियों को 12000 रू प्रति वर्ष यानि 1000 प्रतिमाह की दर से छात्रवृति मिलती है। एनएमएमएस छात्रवृति के तहत छात्रवृति की राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इडिया द्वारा एकमुश्त किया जाता है। राशि को सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित छात्रवृति की संख्या संबंधित राज्यों में कक्षा 7 एवं 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी व उन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एनएमएमएस राशि का विवरण निम्नानुसार जारी किया जाता है।

1. NSP पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत कक्षा 9 के विद्यार्थियों को नियमानुसार एक शैक्षणिक वर्ष के लिये, एक बार में 12000 रू प्रति वर्ष की छात्रवृति राशि मिलती है।
2. विद्यार्थी की उसकी उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12) के पूरा होने तक हर साल छात्रवृति का नवीनीकरण NSP पोर्टल पर किया जाता है, बशर्ते उम्मीदवार हर साल उच्च कक्षा में तय प्रतिशत से प्रोन्नति प्राप्त करें।

पात्रता मापदंड

भारत के केवल मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए लागू यह मीन्स कम मेरिट छात्रवृति योजना सभी आवेदको को निम्नलिखित पात्रता शर्ते पूरी करने की उम्मीद करती ह, जो छात्रवृति प्रदान करने के लिए चयन परीक्षा के लिए पात्र है।

- उम्मीदवार जो इस एन एम एम एस छात्रवृति के लिए आवेदन करना चाहते है, उन्हें कक्षा 7 से स्पष्ट उतीर्ण होने के बाद कम से कम 55 प्रतिशत या समकक्ष ग्रेड प्राप्त कर, कक्षा 8 में नियमित छात्रों के रूप में अध्ययनरत हाना आवश्यक है।
- उम्मीदवार को सरकारी/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है।
- उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रवृति जारी रखने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा कम से कम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

- कक्षा 12 में छात्रवृति जारी रखने के लिए, छात्रवृति प्राप्तकर्ता को 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष के स्कोर के साथ पहले ही प्रयास में कक्षा 11 से स्पष्ट उतीर्णता मिलनी चाहिए। एस सी/एसटी वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।
- अभिभावक/माता–पिता की वार्षिक 1.5 लाख से अधिक नही होनी चाहिए।

विवरण	पात्रता की शर्ते
कौन आवेदन कर सकता है।	कक्षा 8 में नामांकित छात्र
कक्षा 7 में न्यूनतम योग्यता अंक	55 प्रतिशत (50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के लिए) अथवा कक्षा 7 में प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक जो 55 प्रतिशत या अधिक हो। (आरक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत)(केवल सत्र 2019–20 के लिए)
अभिभावक/माता–पिता की वार्षिक आय	यह 1.5 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
छात्रवृति की निरंतरता के लिए आवश्यकताएँ	• उम्मीदवार को प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में 55 प्रतिशत (5 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के लिए) प्राप्त करना आवश्यक है। • कक्षा 10बोर्ड में 60प्रतिशत (55 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के लिए) प्राप्त करना आवश्यक है।
कौन आवेदन करने के योग्य नही है?	1. जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र 2. राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढने वाले छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती है। 3. निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र

महत्वपूर्ण तिथियाँ

इस मेरिट कम मिन्स छात्रवृति परीक्षा के लिये दिनांक 18–01–2021 से दिनांक 02–02–2021 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

NMMS आवेदन प्रक्रिया

NMMS की आवेदन प्रक्रिया दो चरणो में पूर्ण होती है–

1. **NMMS परीक्षा के लिए आवेदन**– परीक्षा के लिए संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कर PEEO/CRC विद्यालय को फारवड करना है। परीक्षा शुल्क PEEO/CRC को विद्यालयवार यूपीआई ऐप/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/बैंक चालान के माध्यम से जमा कराना है। यह शुल्क PEEO द्वारा जमा होगा तथा शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्डकॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएँ। यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है तथा छात्रवृत्ति चार वर्षों तक मिलती है। मूल आवेदन PEEO अपने पास सुरक्षित रखें।
2. **छात्रवृत्ति के लिए आवेदन**– परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद NSP (नेशनल स्कोलरशिप पोर्टल) पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा।

NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

NMMS आवेदन पत्र के साथ छात्रों को कुछ दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। सभी दस्तावेज को स्कूल के संस्थाप्रधान द्वारा सत्यापित करें तथा फार्म के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजो की जाँच करें। इस छात्रवृति का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है इसलिए विद्यार्थी के सभी दस्तावेजों जसे आधारकार्ड, बैंक विवरण, शालादर्पण और विद्यालय रिकोर्ड में सभी जानकारियां जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि का मिलान कर लेवें कोई भी जानकारी बेमेल (मिसमेच) होने पर छात्रवृत्ति का लाभ नही मिलेगा।

- कक्षा 7 की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, अनिवार्य)/प्रमाण पत्र योग्यता के सम्बन्ध में पात्रता की दृष्टि से
- जाति प्रमाण पत्र
- माता–पिता का आय प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू होता है)
- राजस्थान का मूल निवास
- आधार कार्ड

रिजल्ट

- एक बार छात्र चयन परीक्षा में उपस्थित हो जाते हैं तो प्रत्येक जिला उन छात्रों सूची घोषित करता है, जिन्होंने प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंको के MAT साथ SAT व को उत्तीर्ण किया है। एनएमएमएस के लिए छात्रों की अंतिम सूची का चयन करते समय जिन स्थितियों पर विचार किया जाता हैं, उन्हे नीचे देखें
- नियमा के अनुसार आवेदको को प्रत्येक परीक्षण यानि MAT और SAT में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में छूट हैं। उनके लिए इस एनएमएमएस छात्रवृत्ति से लाभ पाने के लिए कट ऑफ अंक 32 प्रतिशत हैं। साथ ही आवेदको को कक्षा 8 की अंतिम परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक समकक्षा ग्रेड प्राप्त करने चाहिए। इसमें SC/ST श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट हैं।
- उम्मीदवार को एनएमएमएस का लाभ उठाने के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना चाहिए।
- NMMS योजना में राजस्थान राज्य का कोटा 5471 है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है। राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय है।

परीक्षा पैटर्न

हालांकि एनएमएमएस–एक केन्द्रीय सरकार की योजना है। इसका चयन प्रत्येक राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा अपने संबंधित विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों में एक मानसिक योग्यता परीक्षण और एक शैक्षिक योग्यता परीक्षण और एक शैक्षिक योग्यता परीक्षण शामिल हैं। जिनके दिशा–निर्देश एन सी ई आर टी द्वारा निर्धारित किए गये है। आवेदकों की 90 मिनिट की अधिकतम समय अवधि में प्रत्येक टेस्ट पूरा करना होगा। हालांकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को टेस्ट पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस राज्य स्तरीय परीक्षा के बारे में विवरण आगे दिया गया है।

एनएमएमएस परीक्षा पैटर्न

क्र.स.	विवरण	विवरण
1.	मानसिक क्षमता परीक्षण (MAT)	• यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकडे आदि जैसे विषयों पर आधारित हो सकते है। • साथ हो हिन्दी एवं अंग्रजी भाषा के ज्ञान की भी जांच की जाती है।
2.	शैक्षिक योग्यता टेस्ट (SAT)	• SAT में विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के विषयों के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते है। • शिक्षा मंत्रालय सरकार के निर्देशानुसार एनएमएमएस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। लेकिन इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम कक्षा 7 व 8 के स्तर का होगा। • कक्षा 7 का गत वर्ष का पाठ्यक्रम (जो विद्यार्थी का पढा हुआ है) सम्मिलित है तथा कक्षा 8 का इस सत्र (2020–21) संक्षिप्तिकत पाठ्क्रम प्रभावी होगा।

परीक्षा शुल्क

1. **सामान्य वर्ग 50रू. और आरक्षित वर्ग (SC/ST/निःशक्तजन)के लिए 30रू. उक्त शुल्क ऑनलाइन ऐप/नेट बैंकिंग द्वारा जमा करवाना होगा। नकद या अन्य माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
2. **परीक्षा शुल्क संस्था प्रधान द्वारा नकद राशि मं पीईईओं को जमा कराना है। पीईईओं अपने क्षेत्र की राशि विद्यालयवार ऑनलाइन जमा करवाकर आवेदन सबमिट करेंगे।**

3-**शुल्क जमा करवाने का लिंक –** ***https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?corpID=3022159***

अधिक जानकारी के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर अवलोकन करें।

https://rajshaladarpan.nic.in/sd3/NMMS/Home.aspx

Email-hod.dsm.siert@rajasthan.gov.in

प्रश्न पत्र

उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से पिछले वर्षों के एनएमएमएस प्रश्न पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते है।

http://rajshaladarpan.nic.in/SDI/NMMS/questionpapers.aspx

परीक्षा आयोजन की पूर्व तैयारी

1. सम्बन्धित संस्थाप्रधान शालादर्पण से प्रवेश पत्र डाऊन लोड कर नियत स्थान पर फोटो लगाकर विद्यार्थी के हस्ताक्षर कराएं व नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाएं। परीक्षा भवन में मूल प्रवेश पत्र लेकर जाना है।
2. विद्यार्थियों को नमूना OMR SHEET भरना सिखाएं।
3. प्रवेश पत्र की डुप्लीकेट प्रति विशेष परिस्थितियों में संस्था–प्रधानों के आग्रह पर दी जाए। डुप्लीकेट प्रति आवेदन पत्र की सूचना के आधार पर केन्दाधीक्षक स्वयं बनवाएँ।
4. केन्द्राधीक्षक द्वारा प्राप्त प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पत्रकों की सुरक्षा एवं गोपनीयता का सम्पूर्ण ध्यान रखें।
5. केन्द्राधीक्षक परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व परीक्षार्थियों हेतु बैठक व्यवस्था कराएँ। साथ ही सफाई, जल, शौचालय (छात्र–छात्राओं हेतु पृथक–पृथक) व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराएँ। फर्नीचर उपयुक्त स्तर के हों।
6. (अ) निःशक्त अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार श्रव्य सहायक यंत्र/व्हील चेयर/क्रेचेज/आवर्धक लेन्स/टेलर फ्रेम/अबेकस/ब्रेल लेखन उपकरण आदि उपयोग में ले सकेंगे जिनकी व्यवस्था स्वयं अभ्यर्थी को करनी होगी।
   (ब) अस्थि एवं स्नायु निःशक्तता वाले परीक्षार्थी हेतु बैठक व्यवस्था भूतल पर की जाए। निःशक्त परीक्षार्थियों हेतु उपयुक्त फर्नीचर एवं समुचित बैठक व्यवस्था की जाए।
   (स) निःशक्तता वाले परीक्षार्थी हेतु रेम्प/व्यवस्था की जाए जिससे परीक्षार्थी बिना किसी कठिनाई के परीक्षा कक्ष तक पहुँच सके।
7. कक्षा–कक्ष में श्याम–पट्ट पर बैठक व्यवस्था के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का लेखन कार्य न हो।
8. परीक्षा से पूर्व वीक्षकों को परीक्षा भवन में प्रवेश से लेकर पैकेट बनाने की प्रक्रिया तक के करणीय कार्य की जानकारी व पालना हेतु निर्देश दें।
9. सभी अध्यापक/कर्मचारियों से परीक्षा में निकट सम्बन्धी के भाग नहीं लेने का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में भरवाएँ।
10. यह भी सुनिश्चित कराएँ कि किसी अध्यापक/कर्मचारी का कोई निकट सम्बन्धी परीक्षा में प्रविष्ठ हो रहा हो तो उसे परीक्षा सम्बन्धी कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाए तथा उसे परीक्षा के दिन केन्द्र पर न बुलाएँ।

परीक्षा हेतु विभिन्न दरें (राशि)–

कार्य
यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमानुसार।
केन्द्राधीक्षक–100 रू. मानदेय।
वीक्षक / पर्यवेक्षक–60 रू. प्रति व्यक्ति।
परीक्षा प्रभारी–60 रू. प्रति व्यक्ति।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग–20 रू. प्रति व्यक्ति (100 परीक्षार्थियों तक, 100 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)मानदेय
उड़न दस्ता सदस्य–100 रू. एक दिन
परीक्षा कार्य देखने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी –200 रू. एक मुश्त
बाह्य पर्यवेक्षक मानदेय रू. 80 एक दिन
फटकर व्यय 500 रू. प्रतिकेन्द्र

- कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा से पूर्व विद्यालय को सेनिटाइज करना है तथा एक कक्ष में 20 परीक्षार्थीयों की बैठक व्यवस्था करनी हैं।
- चार कक्षों पर एक पर्यवेक्षक देय है। जिन कक्षों में एक से अधिक वीक्षक लगाए जाएँ उन पर पर्यवेक्षक देय नहीं है।
- एक अतिरिक्त वीक्षक को आरक्ष अथवा परीक्षा प्रभारी के रूप में कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
- फुटकर राशि (यथा स्टेशनरी, चपड़ी, गोंद, पोस्टेज आदि) में राजकीय नियमानुसार व्यय करें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- फुटकर राशि का व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार करें व बाउचर संधारण करवाएँ।
- आवंटित बजट का व्यय विवरण जी.ए. 19 बनाएँ एवं व्यय विवरण की एक प्रतिलिपि आरएससीईआरटी,उदयपुर भिजवाएँ मूल वाउचर्स परीक्षा केन्द्राधीक्षक विद्यालय में ही रखें। व्यय की गई राशि का पेमेन्ट ऑनलाइन किया जाएगा।
- परीक्षा सामग्री परीक्षा के पश्चात् आरएससीईआरटी में जमा कराने हेतु लाने वाले वाहक का वास्तविक व्यय भी व्यय विवरण में सम्मिलित किया जाए।
- व्यय विवरण भी परीक्षा सामग्री के साथ अनिवार्यतः लावें जिसमें विद्यालय हैड का कोड, (I.F.M.S. ऑफिस I.D.) I.F.S.C. Code,बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या स्पष्ट लिखें जिससे व्यय की गई राशि समय पर ऑनलाइन की जा सके। निरस्त बैंक चेक की प्रति संलग्न करें।
- **नोटः– NMMS परीक्षा से सम्बन्धित प्रपत्र इस निर्देशिका में दिये गये है, आवश्यकता होने पर प्रिन्ट निकाल लेवें।**

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
(जिला स्तरीय नोडल अधिकारी) के लिए परीक्षा आयोजन सम्बंधी "निर्देश"

नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप योजना राष्ट्र की एक प्रमुख छात्रवृत्ति योजना है। इसका शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में किया गया था। यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है व अल्प आय वर्ग हेतु आयोजित की जाती है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर द्वारा नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निदेशक, आरएससीईआरटी, उदयपुर को राज्य सम्पर्क अधिकारी (लाइजन ऑफिसर) नियुक्त किया गया है। राज्य सम्पर्क अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक को जिला स्तर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इस परीक्षा में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी बैठ सकेंगे तथा जिनके प्रश्न–पत्र कक्षा 7 व 8 (राजस्थान पाठ्यक्रम) के स्तर के होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेंगी। अतः निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएं।

1. प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा व गोपनीयता के लिए केन्द्राधीक्षकों को पाबंद करे।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बाह्य पर्यवेक्षक नियुक्त कर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक से परीक्षा संचालन एवं परिवीक्षण में सहयोग ले।
4. यह सुनिश्चित करे कि आपके जिले का कोई भी योग्य परीक्षार्थी जिसने निर्धारित प्रक्रियानुसार निश्चित अवधि में निर्धारत प्रपत्र में आवेदन किया है एवं पात्र पाए जाने की स्थिति में वह परीक्षा देने से वंचित न रह जाए। एनएमएमएस छात्रवृत्ति योजना का प्रचार–प्रसार करें और छात्रों का पूर्ण सहयोग करें।
5. परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन दिन पूर्व एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना व सम्पर्क माध्यम की सूचना अखबार से प्रसारित करें।
6. परीक्षा उपरान्त सभी केन्द्रों से उत्तर पत्रक, उपस्थिति पत्र एवं प्रवेश पत्रों के बण्डल, व्यय विवरण केन्द्राधीक्षक समग्र प्रतिवेदन, अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नामांक मयनाम सूची पत्रक, मय अन्य आवश्यक प्रवत्रों को वाहक स्तर पर उसी दिन अनिवार्यत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) जिले के सभी परीक्षा केन्द्रो की परीक्षा सामग्री एक साथ जिला नोडल केन्द्र प्रभारी माध्यम से आरएससीईआरटी, उदयपुर पहुँचाये।
7. इस परीक्षा के संचालन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरतें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवही की जाएगी।
8. आपके जिले में बनाए गए परीक्षा केन्द्रो पर आप परीक्षा का संचालन, प्रबोधन एवं परिवीक्षण करेंगे।
9. एनएमएमएस परीक्षा हेतु अगर अन्य परीक्षा केन्द्र बनाए जाते है यो परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किए जाते है तो परीक्षा हेतु राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाएँ क्योंकि निजी विद्यालय की वह राशि का भुगतान सभंव नही हैं।

संस्थाप्रधान हेतु दिशा–निर्देश –

1. कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्थाप्रधान अपनी शाला दर्पण आई–डी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सलेक्ट करें।
2. संस्थाप्रधान सम्बन्धित विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणिकरण (Verify) करें। यदि दस्तावेजों की जाँच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
3. संस्थाप्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है।
4. विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है, तदुपरान्त ही आवेदन पत्र ऑनलाईन करें। यह आवेदन फाइनल सबमिट के लिए PEEO/CRC को फॉरवर्ड करना है।

- जाति प्रमाण पत्र (लागू होने पर आवश्यक)
- 7 th की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण)। कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत

  सामान्य वर्ग – 55%

  अनु.जाति/अनु.जनजाति/ निःशक्तजन हेतु – 50%
- कक्षा 7 में प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक जो 55 प्रतिशत या अधिक हो। (आरक्षित वर्ग के लिए 50 प्रतिशत) (केवल सत्र 2019–20 के लिए)
- निःशक्तजन प्रमाण पत्र (निःशक्तता–40% या अधिक एवं लागू होने पर आवश्यक)
- आय प्रमाण में अभिभावक/माता–पिता की समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय (1,50,000रू. से अधिक नहीं)

- आधार कार्ड प्रति (स्वंय द्वारा प्रमाणितं)

5. आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्ठियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाईल अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्थाप्रधान सुनिश्चित कर ले इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गयी है।
6. संस्थाप्रधान को ऑनलाइन आवेदन शालादर्पण के माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कर PEEO/CRC विद्यालय को फारवर्ड करना है।
7. संस्था प्रधान को विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लेकर पीईईओ को नकद राशि में देना है।
8. परीक्षा शुल्क PEEO/CRC द्वारा विद्यालयवार ऑनलाइन यूपीआई ऐप/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है। शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्डकॉपी निकाल कर आवश्यक दस्तावेज लगाएँ।
9. आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्थाप्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाये जायें।
10. मूल आवेदन–पत्र की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज के साथ संस्थाप्रधान PEEO को जमा कराएँ। PEEO विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन के पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाये।
11. सभी संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हैं, तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है।
12. विद्यार्थी के एनएमएमएस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार सूचना, सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र मय दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें।
13. समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।
14. विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्थाप्रधान प्रमाणित करें तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करावें।
15. प्रवेश–पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें।
16. विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अन्तर नहीं होना चाहिए।

संस्थाप्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

एनएमएमएस परीक्षा 2021

नाम विद्यालय .....

ब्लॉक ..... जिला .....

क्रमांक ..... दिनांक .....

..

::– प्रमाणीकरण ::–

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय विद्यालय के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने **एनएमएमएस परीक्षा 2021** के लिये शाला दर्पण पर आवेदन किया है, सभी विद्यार्थियों से .....(संख्या) से आवश्यक दस्तावेज प्रमाणित कर संधारित कर लिये गये है। आवश्यकता होने पर जिला नोडल/ जिशिअ मा. मुख्यालय एवं राज्य (आरएससीईआरटी) को उपलब्ध करा दिये जायेंगे। इन विद्यार्थी से प्राप्त कोई भी दस्तावेज अपूर्ण नहीं है। एनएमएमएस परीक्षा में चयनित होने वाले विद्यार्थियों के आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज 5 वर्ष तक तथा अचयनित विद्यार्थियों के दस्तावेज 1 वर्ष तक PEEO विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे।

विद्यालय में रखे जाने वाले दस्तावेज

आवेदन पत्र की हार्ड कांपी
सातवी की अंकतालिका
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
निःशक्तता प्रमाण पत्र
आधार कार्ड।

एनएमएमएस परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों का ब्यौरा

क्र. स.	कुल प्रविष्ट विद्यार्थी			एस सी			एसटी			दिव्यांग			जनरल		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग

हस्ताक्षर
एनएमएमएस प्रभारी का नाम–
पद मय मो.न.....

हस्ताक्षर
संस्थाप्रधान नाम मय मो.न.....
विद्यालय की सील.....

पीईईओ द्वारा प्रमाणीकरण
एनएमएमएस परीक्षा 2021

नाम PEEO विद्यालय ..... डाइस कोड.....
ब्लॉक ..... जिला .....
क्रमांक ..... दिनांक .....

::– प्रमाणीकरण ::–

यह प्रमाणित किया जाता है कि पीईईओ अधिनस्थ विद्यालयों के विद्यार्थियों को एनएमएमएस परीक्षा 2021 आवेदन पत्रों को आवश्यक दस्तावेजो व संस्थाप्रधान के प्रमाणपत्र सहित प्राप्त कर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र.स.	नाम विद्यार्थी	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	श्रेणी	शुल्क

कुल राशि ..... (अक्षरे .....) का भुगतान ऑनलाइन/चालन के माध्यम से कर दिया गया है। ये आवेदन पत्र निर्देशानुसार स्थानीय विद्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे।

एनएमएमएस परीक्षा में प्रविष्ट विद्यार्थियों का ब्यौरा

क्र. स.	कुल प्रविष्ट विद्यार्थी			एस सी			एसटी			दिव्यांग			जनरल		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग

हस्ताक्षर
एनएमएमएस प्रभारी का नाम–
पद.....
मो.न.....

हस्ताक्षर
प्रधानाचार्य नाम.....
विद्यालय की सील.....
मो.न.....

वीक्षकों हेतु निर्देश–

1. केन्द्रोंधीक्षकों द्वारा परीक्षा पूर्व ली जाने वाली परीक्षा की तैयारी बैठक में वीक्षक अनिवार्यतः भाग लें।
2. परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा आरम्भ के समय से दो घण्टे पूर्व विद्यालय पहुँचे।
3. परीक्षा कक्ष में जाने से पहले आपको दी गई सामग्री, उत्तर पत्रक, आवेदन पत्र आदि की पूर्ण जाँच कर ले कि वे आपको आवंटित कक्ष की ही है।
4. यह परीक्षा दो भागों में आयोजित होगी। प्रत्येक भाग 90 मिनट का होगा। प्रथम भाग में मानसिक योग्यता परीक्षण लिया जाएगा। इसके समाप्ति के 30 मिनट बाद शैक्षिक योग्यता परीक्षण होगा।
5. मानसिक योग्यता परीक्षण का उत्तर पत्रक आप अपने साथ कक्ष में लेकर जाएँगे। शैक्षिक योग्यता परीक्षण के उत्तर पत्रक केन्द्राधीक्षक द्वारा मानसिक योग्यता परीक्षण की समाप्ति पश्चात् निर्धारित समय पर आपके कक्ष में पहुँचा दिए जाएँगें।
6. वीक्षक इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी परीक्षार्थी लॉग टेबल, स्लाईड रूल केलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइसफोन एवं रफ कार्य के लिए कागज साथ में नहीं लाएँ। परीक्षा में इनका उपयोग वर्जित है।
7. वीक्षक स्वयं भी कक्ष में मोबाइल ना लेकर जायें।
8. कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें।

परीक्षा के दिन करणीय कार्य :–

1. केन्द्राधीक्षक परीक्षा के नियत समय से 2 घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहँचे।
2. केन्द्र में सफाई, पेय जल व्यवस्था, मूत्रालय एवं शौचालय की स्वस्छता, रौशनी व फर्नीचर की व्यवस्था का अवलोकन कर लें।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को समय–सारणी अनुसार घण्टी बजाने हेतु निर्देशित कराएं।
4. प्रयुक्त उत्तर पत्रक पर लिखे हुए दिशा–निर्देशों के अनुसार पूर्तियों की जाँच करें।
5. कोविड दिशा–निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों का प्रवेश उनकी संख्या के आधार पर 1 से 2 घण्टे पूर्व शुरू करना है।
6. परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व सत्रवार प्रश्न–पत्रों के पैकेट दो वीक्षकों के सामने खोलें एवं कक्षवार जमाकर परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा कक्षों में पहुंचाना सुनिश्चित करें।
7. यह भी सुनिश्चित करें कि नियत समय पर परीक्षा प्रारम्भ हो जाए।
8. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे।
9. परीक्षा व प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखें।
10. सतर्कता व समयबद्धता पूर्वक परीक्षा सम्पन्न करांए।
11. कमरों पर लगाएं गए पर्यवेक्षक को पाबंद करें कि वह वीक्षकों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि वीक्षक ने आवश्यक प्रपत्र भरे हो एवं यथा स्थान पर वीक्षकों एवं परीक्षार्थियों ने अपने हस्ताक्षर कर दिये हो। वीक्षक ओ.एम. आर.शीट. पर अंकित परीक्षार्थी का नाम, रोल नं, परीक्षा दिनांक, जाति, निःशक्तता आदि सही भरे है यह सुनिश्चित करे।
12. वीक्षक परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व की 15 मिनट की समयावधि में ही आवश्यक परीक्षा प्रपत्रों की पूर्ति सम्बधी समस्त कार्य पूर्व करें।
13. वीक्षक एवं पर्यवेक्षक इस बात का पूर्व ध्यान रखे कि कोई भी परीक्षार्थी बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करें। परीक्षा के उपरान्त वीक्षक परीक्षार्थियों से प्रवेश पत्र का नीचे का भाग अनिवार्यतः एकत्रित करें।
14. वीक्षक/पर्यवेक्षक व केन्द्राधीक्षक का यह सामुहिक दायित्व होगा कि वे प्रवेश पत्र से परीक्षार्थी की पहचान सुनिश्चित कर ले, जिससे कि कोई फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा में सम्मिलित न हो सके।
15. वीक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी नकल नहीं करे व अनुचित साधन लेकर नहीं आए। केल्क्यूलेटर, मोबाईल के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित है।
16. उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर भी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः करावे।
17. प्रश्न–पत्र छात्रों को ले जाने दे शेष बचे प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्रों हेतु पुस्तकालय में रखे।
18. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा बाद कमरों में जाकर अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित करें।
19. कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए थर्मल स्केनर, हैण्ड सेनिटाइजर व हैंडवाश की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उत्तर पत्रक को सील करने की प्रक्रिया :–

1. मानसिक योग्यता के उत्तर पत्रकों को नामांकवार जमाएं।
2. मानसिक योग्यता उत्तर पत्रक से आधा इंच बड़ा गत्ता दोनों और उत्तर पत्रकों के ऊपर व नीचे रखकर धागे से बांधकर यह सुनिश्चित करे कि उत्तर पत्रक क्षतिग्रस्त न हो।
3. उत्तर पत्रकों को फिर खाकी कागज में बांध दें।
4. उत्तर पत्रकों के बण्डल को निर्धारित लिफाफे में रखकर उसको गोंद से चिपका दें एवं चपड़ी से सील कर दें।
5. लिफाफे पर लेबल चस्पा कर दे।
6. इसी प्रकार शैक्षिक योग्यता के उत्तर पत्रकों को मानसिक योग्यता पत्रकों की तरह ही सील बंद करें एवं लेबल चस्पा कर दें।
7. दोनों पैकेट को एक कपड़े के पैकेट में रखकर एक पैकेट बनाएं एवं सील चपड़ी से पैक कर उस पर लेबल चस्पा कर दे।

परीक्षा समाप्ति पर करणीय कार्य :–

परीक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद विभिन्न सामग्री के निम्नानुसार बंडल एवं पैकेट बनाएं जाएं।

- परीक्षा समाप्ति पर शेष बचे हुए उत्तर पत्रक का एक पैकेट बनाएं।
- परीक्षोरान्त NMMS के एकत्रित किये हुए उत्तर पत्रक का एक बण्डल बनाएं जिसमें निम्नांकित दो पैकिट होः–
  (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण पैकेट
  (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण पैकेट
- NMMS परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र के नीचे का भाग
- NMMS परीक्षा से पूर्व ऑनलाईन प्राप्त NMMS 2021 के परीक्षार्थियों की नामावली एवं उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर प्रपत्र का एक पैकेट (सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग अजजा, अजा एवं निःशक्त) ऑनलाईन प्राप्त नामावली
- NMMS परीक्षा में अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नाम मय नामांक की सूची निर्धारित प्रपत्र में।
- केन्द्राधीक्षक समग्र प्रतिवेदन।
- वीक्षक ड्यूटी चार्ट एवं अन्य प्रपत्र।
- बजट प्रारूप (व्यय विवरण)

- इन सभी पैकेटो को सील बंद कर परीक्षा समाप्ति उपरान्त उसी दिन नॉडल अधिकारी के माध्यम से आरएससीईआरटी उदयपुर के **शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग** में जमा करवाएं।
- परीक्षा के दौरान उपस्थिति की संख्या दूरभाष पर आरएससीईआरटी उदयपुर को सूचित करे दूरभाष नं. 0294–2418319 अथवा प्रभारी श्री रोहताश मो.न. 7976654597, 9828474829
- परीक्षा में आई किसी भी समस्या के समाधान हेतु भी आरएससीईआरटी उदयपुर में दूरभाष पर सम्पर्क करें।
- परीक्षा के प्रश्न–पत्र परीक्षार्थी को ले जाने देवे।
- परीक्षा के शेष प्रश्न–पत्र विद्यालय में ही छात्रों के मार्गदर्शन हेतु पुस्तकालय में रखे।

नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021
केन्द्राधीक्षक का समग्र प्रतिवेदन प्रारूप

1. केन्द्र का नाम ..... जिला .....
2. केन्द्र कोड.....
3. परीक्षा दिनांक .....
4. (i) केन्द्राधीक्षक का नाम एवं मोबाइल नम्बर .....
   (ii) E-mail.I.D. .....
5. क्या परीक्षा नियत समय पर प्रारम्भ हुई? हाँ / नहीं
6. क्या प्रश्न पत्रों के पैकेट सील बंद थे? हाँ / नहीं
7. क्या उत्तर पत्रक सही अवस्था में थे? हाँ / नहीं
8. यदि उत्तर पत्रक कटे–फटे थे तो उनकी संख्या.....
9. परीक्षा कक्षों की संख्या .....
10. वीक्षक एवं पर्यवेक्षक की संख्या .....वीक्षक ..... पर्यवेक्षक..... कुल.....
11. मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने का समय.....
12. मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने के साक्षी वीक्षकों के नाम–
    1) ..... 2) .....
13. क्या मानसिक योग्यता परीक्षण समय पर प्रारम्भ हुआ? हाँ / नहीं
    यदि नहीं तो विलम्ब का कारण दें .....
14. क्या मानसिक योग्यता परीक्षण नियत समय पर समाप्त हुआ? हाँ / नहीं
    यदि नहीं तो विलम्ब का कारण दें .....
15. शैक्षिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने का समय .....
16. शैक्षिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने के साक्षी वीक्षकों के नाम–
    1) ..... 2) .....
17. क्या शैक्षिक योग्यता परीक्षण समय पर पारम्भ हुआ? हाँ / नहीं
    यदि नहीं तो विलम्ब का कारण दें .....
18. क्या शैक्षिक योग्यता परीक्षण नियत समय पर समाप्त हुआ? हा / नहीं
    यदि नहीं तो विलम्ब का कारण दें .....
19. क्या परीक्षा के संचालन में कोई अनियमितता हुई? हाँ / नहीं
    यदि हाँ तो विवरण .....
20. अनुचित साधनों के प्रकरण हुए हों तो उनका नामांक सहित विवरण दें।
    .....
    .....
21. NMMS में आपके केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या ..... एवं रोल नं.....
    .....से ..... तक

22. NMMS में उपस्थित परीक्षार्थियों को संख्यात्मक विवरण–

	सामान्य व अन्य पिछड़ी जाति				अनु. जाति				अनु. जनजाति				निःशक्त				कुल			
	नामांकित	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	नामांकित	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	नामांकित	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	नामांकित	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	नामांकित	उपस्थित	अनुपस्थित	योग
मानसिक योग्यता परीक्षण																				
शैक्षिक योग्यता परीक्षण																				

23. क्या केन्द्र पर निःशक्त परीक्षार्थी सम्मिलित हुए है?
    हाँ / नहीं
    यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण दें। (संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त कागज काम में लें)
    नाम ..... नामांक .....निःशक्तता का प्रकार .....
    यदि श्रुतलेखक देय हो तो उसका नाम मय शैक्षिक योग्यता .....
24. क्या परीक्षा कक्ष में प्रकाश, पेय जल व सफाई की व्यवस्था समुचित की गई है? हाँ / नहीं
25. क्या छात्र / छात्रा परीक्षार्थियों के लिए शौचालय / मूत्रालय की पृथक–पृथक व्यवस्था की गई?
    हाँ / नहीं
26. क्या उत्तर पत्रक सुरक्षित अवस्था में सील किए गए है?
27. साक्षी वीक्षकों के नाम जिनके समक्ष पैकेट सील किए गए है?
    1. ..... 2. .....
28. अन्य कोई बिन्दु जिसे आप वर्णित करना चाहें–
29. आगामी परीक्षा के सफल संचालन हेतु आपके सुझाव–
30. परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पत्रों का विवरण निम्नलिखित फॉर्मेट में सॉफ्ट या हार्डकॉपी में नॉडल केन्द्र पहुँचाएं।

प्रश्न पत्र विवरण

क्र.स.	जिला	केन्द्र कोड	MAT प्रश्न पत्र			SAT प्रश्न पत्र		
			प्राप्त	उपयोग	शेष	प्राप्त	उपयोग	शेष

हस्ताक्षर
केन्द्राधीक्षक मय
मोहर

नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप (N.M.M.S.) परीक्षा–2021

परीक्षा केन्द्र पर जिला शिक्षा अधिकारी मा. मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त बाह्म पर्यवेक्षक का प्रतिवेदन

बाह्म पर्यवेक्षक के कार्य :–

बाह्म पर्यवेक्षक को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पूर्व पहुँच जाना चाहिए। पर्यवेक्षक कृपया परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान तथा परीक्षा समाप्ति पर निर्देशानुसार किए जाने वाले मुख्य कार्यो को ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करें। पर्यवेक्षक का दायित्व है कि वह परीक्षा केन्द्र की कार्यवाहियों पर निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि केन्द्र पर परीक्षा के कार्य में निर्देशों की पूरी तरह पालना की जा रही है। उसे केन्द्र पर वीक्षक द्वारा किए जाने वाल कार्य, परीक्षा संबंधी कार्य, तैयार किए जाने वाले प्रपत्रों आदि मे पाई गई कमियों को केन्द्रधीक्षके के ध्यान में अवश्य लाया जाना चाहिए।

बाह्म पर्यवेक्षक प्रतिवेदन प्रारूप :–

1. परीक्षा का नाम :–.....
2. परीक्षा की दिनांक व समय :–.....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम मय पं.स. एवं जिला.....केन्द्र कोड.....
4. केन्द्र को छोड़ने का समय :–.....

अ. परीक्षा केन्द्र की सामान्य व्यवस्था :–

1.	क्या परीक्षा केन्द्र के सूचना पट्ट पर परीक्षार्थियों के सूचनार्थ रूम चार्ट एवं निर्देश लगाए गए?	हॉ/नहीं
2.	क्या परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था पाई गई?	हॉ/नहीं
3.	क्या परीक्षा कक्षों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था थी?	हॉ/नहीं
4.	क्या परीक्षार्थियों को कक्ष में पानी पिलाने की समुचित व्यवस्था की गई?	हॉ/नहीं
5.	क्या केन्द्र पर शौचालय आदि की उचित व्यवस्था की गई?	हॉ/नहीं
6.	केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा के एक दिन पूर्व ली गई बैठक के संबंध मे टिप्पणी–	

ब. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व :–

1.	क्या प्रश्न पत्र के पैकेट्स सील्ड एवं सही अवस्था में पाए गए?	हॉ/नहीं
2.	क्या परीक्षा कार्यक्रम से प्रश्न पत्र के सील्ड पैकेट्स की जॉच कर उस पर केन्द्राधीक्षक, वीक्षकों तथा बाह्म पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए?	हॉ/नहीं
3.	क्या प्रश्न पत्र के सील्ड पैकेट्स केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्देशानुसार समय पर खोले गए?	हॉ/नहीं
4.	क्या परीक्षा कक्षों में प्रश्न पत्र भेजने के बाद शेष रहे प्रश्न पत्रों को उनके लिफाफे सहित निर्देशानुसार सुरक्षित रखा गया?	हॉ/नहीं
5.	क्या परीक्षा समय पर प्रारम्भ की गई? यदि नही तो परीक्षा किस समय प्रारम्भ हुई? समय पर परीक्षा प्रारम्भ नहीं हुई तो कारण	हॉ/नहीं

स. परीक्षा के दौरान :–

1.	क्या प्रवेश पत्र पर लगी फोटो से मिलाने कर निर्धारित उपस्थिति पत्रकों में व प्रवेश पत्र में परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर लिए गए और उपस्थिति पत्रकों की प्रविष्टियों की पूर्ति की गई?	हॉ/नहीं
2.	क्या क्या अनुपस्थिति रहे परीक्षार्थियों के उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति कर परीक्षार्थी की अनुपस्थिति दर्शाते हुए वीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए?	हॉ/नहीं
3.	क्या वीक्षकों द्वारा उत्तर पत्रकों पर परीक्षार्थियों द्वारा की गई प्रविष्टियों की जाँच कर अपने हस्ताक्षर किए गए?	हॉ/नहीं
4.	क्या आपने उत्तर पत्रकों पर की गई प्रविष्टियों की नमूना जाँच की?	हॉ/नहीं
5.	क्या वीक्षकों द्वारा परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष से उठकर बाहर जाने वाले परीक्षार्थियों का अभिलेख रखा गया?	हॉ/नहीं
6.	क्या परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे बाद सभी परीक्षा कक्षों से शेष रहे प्रश्न पत्र, अनुपस्थित अभ्यार्थियों के विवरण तथा शेष रहे उत्तर पत्रक एकत्रित कर केन्द्राधीक्षक को सौंपे गए?	हॉ/नहीं
7.	क्या केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा कक्षों का निरीक्षण किया गया?	हॉ/नहीं
8.	क्या परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर नकल करते/अनुचित साधन अपनाते काई परीक्षार्थी पाया गया? यदि हॉ तो उसका पूर्व विवरण तथा रोल नम्बर, नाम आदि का उल्लेख करें।	हॉ/नहीं

9.	परीक्षार्थियों के विवादास्पद ऐसे मामले का पूर्ण विवरण जिनको परीक्षा में सशर्त प्रवेश की अनुमति दी गई।	

द. परीक्षा समाप्ति पर :–

नोट :– पर्यवेक्षक परीक्षार्थियों के उत्तर पत्रकों के पैकेट अपनी उपस्थिति में तैयार कराएँ। परीक्षा के उत्तर पत्रकों के गत्ते (पुट्ठे) लगाकर सुरक्षात्मक ढंग से पैकिंग की जाँच की जाए।

1.	क्या उत्तरपत्रकों को एकत्र करने में विलम्ब हुआ? यदि हॉ तो विलम्ब का कारण लिखे?.....	हॉ / नहीं
2.	क्या केन्द्राधीक्षक द्वारा उपस्थित परीक्षार्थियों की उत्तर पत्रकों का सही हिसाब लगाकर अनुपस्थित परीक्षार्थियों को दर्शाया गया?	हॉ / नहीं
3.	क्या परीक्षार्थियों के उत्तर पत्रक का बण्डल निर्देशानुसार तैयार किया गया?	हॉ / नहीं
4.	क्या अनुचित साधन का पन्नयोग करने वाले परीक्षार्थी के उत्तर पत्रक एवं बरामद की गई सामग्री निर्देशानुसार पैक कर उत्तर पत्रकों के बण्डल में यथास्थान रखी गई?	हॉ / नहीं
5.	क्या केन्द्राधीक्षक द्वारा प्राप्त परीक्षार्थियों के उत्तर पत्रकों के सील्ड बण्डल परीक्षा समाप्ति पर उसी दिन निर्देशानुसार वाहक स्तर पर रा.रा.शै.अ., परिषद्, उदयपुर को प्रेषित किए गए?	हॉ / नहीं
6.	क्या अनुपस्थित परीक्षार्थियों के विवरण की सुपाठ्य एक–एक उत्तर पत्रकों के बण्डल में रखी गई है?	हॉ / नहीं
7.	क्या आप द्वारा परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उत्तर पत्रकों के बण्डल पर अपने हस्ताक्षर युक्त पेपर की सील लगाई गई?	हॉ / नहीं

बाह्य पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम.....पद.....

पूर्व पता व मोबाइल नम्बर.....

विद्यालय का नाम.....ब्लॉक.....जिला.....

यूडाईस कोड.....

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–01

परीक्षा समाप्ति पर अप्रयुक्त उत्तर पत्रक (OMR SHEET)

अप्रयुक्त उत्तर पत्रक की कुल संख्या .....

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–02

परीक्षापरान्त एकत्र उत्तर पत्रक (OMR SHEET)

पैकेट – 2 अ में उत्तर पत्रक की संख्या.....

पैकेट – 2 ब में उत्तर पत्रक की संख्या.....

कुल उत्तर पत्रक की संख्या.....

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियो हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–02 अ

परीक्षार्थियों के मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT) के उत्तर पत्रक (OMR SHEET)

कुल संख्या.....

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–02 ब

परीक्षार्थियों के शैक्षिक योग्यता परोक्षण (SAT) के उत्तर पत्रक (OMR SHEET)

कुल उत्तर पत्रक की संख्या.....

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–03

उपस्थित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र

कुल प्रवेश पत्रों संख्या.....

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेत)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–04

परीक्षार्थियों की नामावली (सामान्य, अजजा, अजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग)

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–05

उपस्थित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर का पैकेट

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–06

अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नांमाक की सूची

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–07

वीक्षक ड्यूटी भुगतान चार्ट

पैकेट पर चिपकायें

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र कोड़ :– .....

पैकेट क्रमांक :–08

बाह्य पर्यवेक्षक प्रतिवेदन

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

केन्द्र का नाम ..... जिला.....केन्द्र कोड़.....
.....

दिनांक .....

परीक्षार्थियों की नामावली

क्र. स.	नामांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता अथवा संरक्षक का नाम	विद्यालय का नाम	लिंग	जाति वर्ग	दिव्यांग वर्ग	वि.वि.

ये नामावली परीक्षा केन्द्र वार शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जाएगी।

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021
(कक्षा–8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु)

अनुपस्थित परीक्षार्थियों की सूचना (प्रपत्र)

परीक्षा का नाम– नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा–2021

केन्द्र का नाम..... जिला.....
.....

केन्द्र का कोड़..... दिनांक.....
.....

सत्र..... समय.....
.....

प्रश्न पत्र का नाम.....

कक्ष संख्या	आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या	अनुपस्थित परीक्षार्थियों के नाम मय नामांक	कक्ष में अनुपस्थित परीक्षार्थियों का कुल योग	विशेष विवरण

हस्ताक्षर केन्द्राधीक्षक
मय मोहर

नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा–2021

जिला ..... दिनांक .....
नॉडल केन्द्र कोड ..... कुल परीक्षा केन्द्र .....
यह प्रपत्र परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा सामग्री के साथ भेजे और एक्सल फॉरमेट में hod.dsm.siert@rajasthan.gov.in पर ई–मेल करें।

प्रश्न पत्र विवरण

क्र.स.	जिला	परीक्षा केन्द्र कोड	MAT प्रश्न पत्र			SAT प्रश्न पत्र		
			प्राप्त	उपयोग	शेष	प्राप्त	उपयोग	शेष
योग								

हस्ताक्षर
नॉडल केन्द्राधीक्षक

नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2021

उपस्थित परीक्षार्थियों की सूचना (प्रपत्र)

परीक्षा का नाम– नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा–2021

केन्द्र का नाम..... जिला.....
.....
केन्द्र का कोड़..... दिनांक.....
.....
कमरा संख्या :–..... कमरे में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या.....

प्रश्न पत्र का नाम.....

क्र. स.	नामांक	परीक्षार्थी का नाम	पिता अथवा संरक्षक का नाम	हस्ताक्षर परीक्षार्थी	
				मानसिक योग्यता परीक्षण	शैक्षिक योग्यता परीक्षण
	33020.....				

हस्ताक्षर

केन्दाधीक्षक मय मोहर

ये नामावली परीक्षा केन्द्र वार शाला दर्पण पर ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जाएगी। इसमें अनुपस्थित विद्यार्थियों की प्रविष्टि लाल स्याही से करना है।

वीक्षक ड्यूटी चार्ट
नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा–2021

केन्द्र का नाम..... जिला.....
केन्द्र का कोड़..... दिनांक.....
सत्र..... समय.....

क्र.स.	वीक्षक का नाम	कमरा संख्या	परीक्षाथियों की संख्या	हस्ताक्षर वीक्षक/पर्यवेक्षक /आरक्ष
1. (i)				
(ii)				
(iii)				
(iv)				
(v)				
(vi)				
(vii)				
(vi)				
(ix)				
(x)				
2.	आरक्ष का नाम			
3. (i)	पर्यवेक्षक का नाम			
(ii)	पर्यवेक्षक का नाम			
(iii)	पर्यवेक्षक का नाम			

केन्द्राधीक्षक के हस्ताक्षर मय मोहर

अधिकारी ड्यूटी भुगतान प्रपत्र
नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा–2021
कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक
जिला .....

परीक्षा केन्द्रों की संख्या

क्र.स.	नाम अधिकारी	परीक्षा के लिए निर्धारित ड्यूटी	मानदेय राशि	हस्ताक्षर प्राप्तकर्त्ता

वीक्षक ड्यूटी भुगतान प्रपत्र

NMMS परीक्षा 2021

केन्द्र कोड..... दिनांक .....

विद्यालय का नाम.....जिला.....ब्लॉक.....

डाइस कोड.....नाम संस्था प्रधान.....मो.न.....

क्र. स.	नाम अधिकारी / कार्मिक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	परीक्षा के लिए निर्धारित ड्यूटी	मानदेय राशि	मानदेय प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

केन्द्राधीक्षक

NMMS परीक्षा 2021

फुटकर व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. केन्द्र का नाम ..... जिला .....
2. केन्द्र कोड.....
3. परीक्षा दिनांक .....
4. (i) केन्द्राधीक्षक का नाम एवं मोबाइल नम्बर .....

   (ii) E-mail.I.D. .....

प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षा 2021 के आयोजित में 500/– अक्षरे पांच सौ रूपए की राशि की सामग्री क्रय कर इसका उपयोग परीक्षा कार्य में कर लिया गया है। सम्बन्धित वाउचर कार्यालय में सुरक्षित है।

हस्ताक्षर केन्द्राधीक्षक
मयसील

National Means-Cum Merit Scholarship Scheme (NMMS)

NMMS में चयनित विद्यार्थियों की सूचना (27 column)

SN	Roll No.	Student's Name	Gender	Date of Birth	Religion	Category	Father's Name	Mobile No.	Aadhar Number	Present Class	% of mark previous Class
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Permanent Address	street /colony/lane	village name	tehsil	Pin Code	distirict Name	state	dise code	institution type	school name & address	ifsc code of branch	bank account namber	bank name	manth entered in class 9th	Academic year of scheme
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

यह प्रपत्र भरकर विद्यालय में रखना है। आवश्यकता होने पर जानकारी मांगी जाएगी।

NMMS EXAM (10 COLOMN INFORMATION)

student name	applicant NMMSS Roll No.	date of birth (dd/mm/yyyy)	fathers name	category	Gender	Exam year	Mark obtained	state name	district

यह प्रपत्र भरकर विद्यालय में रखना है। आवश्यकता होने पर जानकारी मांगी जाएगी।

निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु विवरण–

A. श्रवण दोष –	
1.	**पात्रता–**
1.1	वे बधिर परीक्षार्थी जो राजस्थान राज्य के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक की निःशक्तता वाले अभ्यर्थी है वे इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।
1.2	इनको निःशक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा जो तीन राजकीय विशेषज्ञों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसमें से एक सम्बन्धित निःशक्तता का विशेषज्ञ होना अनिवार्य हैं।
1.3	यह प्रमाण पत्र सीएमएचओ/सीडीएमओ के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए।
1.4	अस्थाई निःशक्तता वाले परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र का परीक्षा की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर नवीनीकरण कराना होगा।
1.5	श्रवण दोष वाले परीक्षार्थी के उत्तर पत्रके दाहिनी ओर के शीर्ष कोने पर 'Hearing challenged'लिखेंगे।
2.	**भौतिक सुविधाएँ**
2.1	परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र का उत्तर देने के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय देय होगा।
2.2	परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में श्रव्य सहायक यंत्र काम में ले सकेंगे।
2.3	परीक्षार्थी को पृथक कक्ष उपलब्ध कराया जाना होगा।
3.	**प्रश्न पत्र**
3.1	बधिर परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु सरल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे शब्दों के आग कोष्ठक में उसका स्पष्टीकरण किया जाएगा।
4.	प्रश्न का मुद्रण
4.1	चित्रों का आकार बड़ा एवं स्पष्ट होना चाहिए। इनका आकार 1.5"×1.5" से कम नहीं हो।
B. अस्थि एवं स्नायु दोष –	
	अस्थि एवं स्नायु दोष से तात्पर्य यह होगा कि मांसपेशियों या स्नायु तंत्र की किसी बीमारी से शरीर के अंग (जैसे–हाथ–पैर) चलने फिरने या वस्तुओं को इधर–उधर रखने की सामान्य क्रिया नहीं कर सकते हैं या करने में कठिनाई अनुभव करते है।
1.	पात्रता–
1.1	इसका अर्थ ऐसी निःशक्तता से है जिसमें मांसपेशियों और तांत्रिका तंत्र की खराबी के कारण गति सम्बन्धि गतिविधियों करने मे कठिनाई आती है। यह निःशक्तता जन्मजात या बाद में हो सकती हैं। यह निःशक्तता 40प्रतिशत या उससे अधिक की हानी चाहिए।
1.2	उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा जिस पर तीन विशेषज्ञों के हस्ताक्षर होंगे। जिसमें से एक सम्बन्धित विकलांगता का विशेषज्ञ होगा।
1.3	यह प्रमाण पत्र सीएमएचओ/सीडीएमओ के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा। अस्थाई विकलांगता वाले परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र का परीक्षा की तिथि से 3 माह अन्दर नवीनीकरण कराना होगा।
1.4	अभ्यर्थी को उत्तर–पत्रक के शीर्ष के दाएँ कोने पर लिखना होगा– ORTHOPAEDIC
2.	भौतिक सुविधाएँ–
2.1	परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था भूतल पर होगी। किसी प्रकार की निर्माण बाधाओं का सामना न करना पड़े यह ध्यान रखा जाएगा।
2.2	30 मिनट प्रति प्रश्न पत्र अधिक देय होंगे।
2.3	फर्नीचर एवं बैठक व्यवस्था ऐसी हो कि परीक्षार्थी को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2.4	परीक्षार्थी द्वारा विशिष्ट उपकरण एवं स्टेशनरी को काम में लिए जाने की स्वीकृत होगी।
3.	प्रश्न पत्र
3.1	दोनों प्रकार के प्रश्न पत्र में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
3.2	प्रश्न पत्र में लिखे गए विवरण स्पष्ट, बड़े एवं पर्याप्त जगह में हो यह ध्यान रखा जाएगा।
C. दृष्टिविहीन/अल्प दृष्टि समूह –	
1.	पात्रता–
1.1	40 प्रतिशत या उससे अधिक अंधता पर
1.2	उन्हें निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस पर तीन विशेषज्ञों के हस्ताक्षर होंगे जिसमें से एक सम्बन्धित निःशक्तता का विशेषज्ञ होगा। उसमें यह भी उल्लेख होगा कि वह स्थाई/अस्थाई प्रकृति की है। अस्थाई प्रकृति की विकलांगता प्रमाण पत्र की परीक्षा की तिथि से 3 वर्ष के अंदर नवीनीकरण कराना होगा।
1.3	अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक के शीर्ष के दाएँ कोने पर लिखना होगा–Blind/Low vision
2.	भौतिक सुविधाएँ–
2.1	अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली सुविधाएँ–अभ्यर्थी को अपने आवागमन, व्हील चेयर, क्रचेज, आवर्धक लैंस, टेलर फ्रेम, अवेकस, ब्रेल लेखन उपकरण आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
2.2	केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ–भवन तक आसान पहुँच बनाना, समुचित बैठक व्यवस्था, पृथक कक्ष, प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु 30 मिनट अतिरिक्त दिए जाएँगे।
3.	प्रश्न पत्र
3.1	प्रश्न पत्र की विषय वस्तु वही रहेगी परन्तु उसका प्रस्तुतीकरण इस प्रकार से होगा कि उसको समझकर हल कर
	सकें।

3.2	अधिकतम प्रयास रहेगा कि विषयवस्तु को सरल नहीं किया जाए। प्रश्नों के आवश्यक परिवर्तन में यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल प्रस्तुतीकरण प्रारूप ही बदले, विषयवस्तु वही रहे।
3.3	सरल दृश्य प्रस्तुति को सरल शब्दों में इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि वह उसे समझ सके।
3.4	जटिल चित्रों वाले प्रश्नों के विषयवस्तु के प्रत्यय को वही रखते हुए सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3.5	विशिष्ट प्रत्ययों को उपायुक्त वैकल्पिक प्रश्नों से विशेषज्ञों की सहायता से किया जा सकेगा।
3.6	प्रश्न पत्र में दिए गए चित्र उभरे हुए बनाए जाएँगे।
3.7	दृष्टिविहीन परीक्षार्थियों को एक श्रुत लेखक उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी योग्यता (N.M.M.S.) परीक्षा हेतु कक्षा 7 के स्तर से कम होगी।
	विशिष्ट निर्देश :–
1	विकलांगता की तीनों श्रेणियों के लिए 1–1 प्रतिशत आरक्षण होगा।
2	न्यून दृष्टि वाले को आवार्धक उपकरणों की सहायता लेने की छूट होगी।
3	विकलांगता की श्रेणी में आने वाले परीक्षार्थियों को इस हेतु राजकीय विकित्यालय के सक्षम चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अक्षमता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
4	श्रुत लेखक के लिए आवेदन पत्र जिसमें श्रुत लेखक का नाम, उसका फोटो, जन्मतिथि एवं योग्यता (कक्षा 7 से न्यून एन.एम.एम.एस. परीक्षा हेतु) सम्बन्धित विद्यालय से प्रमाणित कराकर परीक्षार्थियों का नाम आदि पूर्ण विवरण जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम के पास केन्द्राधीक्षक की अनुशंषा के साथ प्रारम्भ होने से 15 दिवस पूर्व भेजना होगा।
5	केन्द्राधीक्षक स्वयं उपयुक्त श्रुत लेखक का चयन करेगा। श्रुत लेखक परीक्षार्थियों का रिश्तेदार अथवा परिचित नहीं होगा। यथा संभव केन्द्राधीक्षक अपने विद्यालय से लेखक की व्यवस्था करें।
6	केन्द्राधीक्षक श्रुत लेखकों के प्रमाणित फाटोयुक्त प्रवेश पत्र जारी करेगा।
7	इस प्रकार के प्रत्येक परीक्षार्थियों को एक वीक्षक के साथ पृथक कक्ष में बिठाया जाएगा। वीक्षक इस पर पूर्ण निगरानी रखेगा कि श्रुत लेखक वही लिखता है जो परीक्षार्थी बोलता है।
8	आपातकाल में केन्द्राधीक्षक श्रुत लेखक नियुक्त कर सकेंगे परन्तु उसका अनुमोदन जिला अधिकारी माध्यमिक प्रथम से लेना होगा।
9	श्रुत लेखक पर किया गया व्यय भी राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

सम्पर्क माध्यम :–

क्र.स.	अधिकारी	दूरभाष
1.	निदेशक एवं राज्य सम्पर्क नोडल अधिकारी	02942415171
2.	श्री धर्मेन्द्र कुमार जोशी, उपनिदेशक, शैक्षिक सर्वे, शोध, मूल्यांकन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग	8619257311
3.	श्रीमती कपिला कंठालिया	9460804466
4.	श्री रोहताश, असिस्टेंट प्रोफेसर	7976654597
5.	डॉ.अशोक कुमार बैरवा असिस्टेंट प्रोफेसर	8769394612
6.	श्री मनीष माहेश्वरी, कनिष्ठ लिपिक	7737161164

A.	**Hearing Challenged Candidates**
(i)	**Eligibility Condition**
	The hearing Challenged Candidates Studying in any Govt. school having the disability of 40% & above can appear in the examination. They are required to submit the PH certificate in the prescribed from issued in their favor signed by the three specialist including the specialist of the concerned disability. The medical certificate should be counter signed by the CDMO/CMHO concerned. From the date of commencement of the NMMS examination.
(ii)	**Physical Facilities**
a.	The hearing Challenged Candidates shall write ʹHearing Challengedʹ on the top (right side of answer booklet.)
b.	The Candidate shall be allowed 30 minutes extra time for answering each paper.
c.	The Candidate can use hearing aid in the examination centre.
d.	Separate room will be arranged for the Candidate to appearing in the examination.
B.	**Locomotors Disability (physically Challenged)**
(i)	**Eligibility**
	Locomotors Disability means inability to execute distinctive activities associated with moving both personally & objects from to place to place and such inability resurging from affliction of muscles Skeletons or nervous system. Locomotors disability cab be classified as congenital & acquired & common cause may be congenital & development of some of the conditions of Locomotors Disabilities are- • Poliomyelitis • Cerebral Palsy • Muscular Dystrophies • Stroke • Spinal Cord Injury • Amputation • Cancer, AISs • Hanes's Disease (leprosy) • TB of bones & Joints • Lathyrism (due to Kesari Dal Consumption) Disability should be 40% or more than 40%
	Physical Facilities
(ii)	• Removal of all architectural barriers or of modifies existing architectural facilities so as to provide areas to locomotors disabled candidate at the Exam centers. The seating arrangements for the candidates should be the ground floor. • Relaxation of time: 30 minutes time can be given for a test of 1.1/2 hours if the candidates have defect in hands & postures (CP cases). • Classroom management including furniture should be adjusted so as to make each candidates of Locomotors Disability feel physically comfortable as possible. Essential equipment hall and used by Locomotors Disabled candidates can be permitted to bring to the examination hall and use the same. School teacher should also be oriented about the same same well in advance.

नेशनल मीन्स–कम–मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा – 2019

NATIONAL MEANS-CUM-MERIT SCHOLARSHIP EXAMINATION - 2019

Instructions / निर्देश

1. नामांक एवं नाम लिखने के लिए पेन का उपयोग करें। Use pen for writing Roll Numbers and Name.
2. ओवल या वृत्त को गहरा काला करने के लिए केवल एच.बी. पेन्सिल का उपयोग करें। बीवल या ओवल के बाहर न तो किसी प्रकार का कोई निशान लगाएँ व न ही कुछ लिखें। Use Only HB pencil to darken the ovals or circles. Do not mark or write putside the boxes or Ovals
3. संबंधित जाति एवं एक निःशक्तता स्थिति की संख्या के ओवल को ही काला (●) करें। / Fully darken the Oval (●) of only related caste category and disability status.
4. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। Each question carry one mark.
5. दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाली संख्या को गहरा काला कीजिए।* / Fully darken corresponding correct one alternative number by HB pencil, example 1 ● 3 4 **
6. उत्तर में परिवर्तन हेतु भरे हुए विकल्पों को रबर से अच्छी तरह मिटा कर सही उत्तर वाले विकल्प बिन्दु संख्या 5 के अनुसार भरें। / To change answer, completely erase wrong answer & then mark correct answer as mentioned in point no. 5.

ANSWER SHEET NO.

207413

ANSWER SHEET / उत्तर पत्रक

PART- II SCHOLASTIC ABILITY TEST / भाग –द्वितीय शैक्षिक योग्यता परीक्षण

ROLL NUMBER (13 digits)

3	3	0	1	9								
1	1	1	●	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
●	●	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	●	9	9	9	9	9	9	9	9
0	0	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cast Category	
General	1
S.C.	2
S.T.	3
O.B.C.	4
Oth -1	5
Oth -2	6

Disability Status	
Orthopedic	1
Hearing	2
Low Vision	3
Blind	4
None	5

Invigilator's Signature
Sign after verifying entries

Put seal of Centre Supdt. within the box

* गहरा काला न होने पर स्कैनर द्वारा न पढ़े जाने की जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।

** The Scanner will not accept the answer if the bubble is not filled completely dark if so the candidate will be responsible for it.

Name of the Candidate: ..... **S/o / D/o :** .....

1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	4
5	1	2	3	4
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4
8	1	2	3	4
9	1	2	3	4
10	1	2	3	4
11	1	2	3	4
12	1	2	3	4
13	1	2	3	4
14	1	2	3	4
15	1	2	3	4
16	1	2	3	4
17	1	2	3	4
18	1	2	3	4
19	1	2	3	4
20	1	2	3	4
21	1	2	3	4
22	1	2	3	4
23	1	2	3	4
24	1	2	3	4
25	1	2	3	4
26	1	2	3	4
27	1	2	3	4
28	1	2	3	4
29	1	2	3	4
30	1	2	3	4
31	1	2	3	4
32	1	2	3	4
33	1	2	3	4
34	1	2	3	4
35	1	2	3	4
36	1	2	3	4
37	1	2	3	4
38	1	2	3	4
39	1	2	3	4
40	1	2	3	4
41	1	2	3	4
42	1	2	3	4
43	1	2	3	4
44	1	2	3	4
45	1	2	3	4
46	1	2	3	4
47	1	2	3	4
48	1	2	3	4
49	1	2	3	4
50	1	2	3	4
51	1	2	3	4
52	1	2	3	4
53	1	2	3	4
54	1	2	3	4
55	1	2	3	4
56	1	2	3	4
57	1	2	3	4
58	1	2	3	4
59	1	2	3	4
60	1	2	3	4
61	1	2	3	4
62	1	2	3	4
63	1	2	3	4
64	1	2	3	4
65	1	2	3	4
66	1	2	3	4
67	1	2	3	4
68	1	2	3	4
69	1	2	3	4
70	1	2	3	4
71	1	2	3	4
72	1	2	3	4
73	1	2	3	4
74	1	2	3	4
75	1	2	3	4
76	1	2	3	4
77	1	2	3	4
78	1	2	3	4
79	1	2	3	4
80	1	2	3	4
81	1	2	3	4
82	1	2	3	4
83	1	2	3	4
84	1	2	3	4
85	1	2	3	4
86	1	2	3	4
87	1	2	3	4
88	1	2	3	4
89	1	2	3	4
90	1	2	3	4